

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.11.2020 जनपद देवरिया ।

थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति की हत्या की घटना का अनावरण, 04 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, आलाकत्तल बरामद ।

दिनांक 02.11.2020 को ग्राम बरईपुर मंगलराव मंज़रिया के पास एक युवक की सिर कटा शव बरामद हुआ था एवं बाद में तलाश के उपरान्त शव का सिर ग्राम बेलवा बाजार के पास गन्ने के खेत में मिला था। दिनांक 06.11.2020 को उक्त शव के शिनाख के उपरान्त थाना रामपुर कारखाना पर वादिनी श्रीमती तारा देवी पत्नी राजू स्वांसी निवासी—लान्टूप, खूंटी झारखण्ड की तहरीर के आधार पर मु0300सं0—413/2020 धारा—302,201 भादंसं का अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर देवरिया श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना द्वारा की जा रही है, विवेचना के क्रम में घटना स्थल निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना द्वारा डॉग स्क्वाड की डॉग रुबी द्वारा गुड़ लारी का मुर्गी फार्म हाउस ग्राम मंज़रिया की तरफ पुलिस को ले जाया गया था। आज दिनांक 09.11.2020 को क्षेत्राधिकारी नगर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना मय हमराहीयान अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं घटना के अनावरण हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम सेमरी मोड़ के पास से अभियुक्तगण 01.निकोलस उर्फ टोटे पुत्र लाढो उम्र करीब 22 वर्ष हाल निवासी गुड़ लारी का मुर्गी फार्म हाउस वहद ग्राम मंज़रिया थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया 2—मान्द्रो मुण्डा पुत्र सीमा मुण्डा हाल निवासी असलम खाँ का पोलट्री फार्म ग्राम बरवामीर छापर थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया 3—काण्डे मुण्डा पुत्र मन्तु मुण्डा उम्र करीब 25 वर्ष हाल निवासी रब्बुल हसन का पोलट्री फार्म ग्राम देवरिया बुद्ध खाँ थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया साकिनान कोद्दा थाना मुरहु जिला खुंटी (झारखण्ड) एवं अभियुक्ता 1—जवन्ती पुर्ती पत्नी निकोलस उर्फ टोटे हाल निवासी गुड़ लारी का मुर्गी फार्म हाउस वहद ग्राम मंज़रिया थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया मुल निवासी साकिन कोद्दा थाना मुरहु जिला खुंटी (झारखण्ड) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त निकोलस एवं अभियुक्ता जवन्ती उपरोक्त की निशानदेही पर गुड़ लारी का मुर्गी फार्म हाउस ग्राम मंज़रिया जहाँ पर उक्त अभियुक्त कार्य करते थे, वहाँ से घटना में प्रयुक्त चाकू फावड़ा, दो बॉस, रजाई का खोल एवं प्लास्टिक की रस्सी एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल होन्डा ड्रीम UPN52X2422 बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद आलाकत्तल एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 01.निकोलस उर्फ टोटे पुत्र लाढो उम्र करीब 22 वर्ष हाल निवासी गुड़ लारी का मुर्गी फार्म हाउस वहद ग्राम मंज़रिया थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया
- 2—मान्द्रो मुण्डा पुत्र सीमा मुण्डा हाल निवासी असलम खाँ का पोलट्री फार्म ग्राम बरवामीर छापर थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया
- 3—काण्डे मुण्डा पुत्र मन्तु मुण्डा उम्र करीब 25 वर्ष हाल निवासी रब्बुल हसन का पोलट्री फार्म ग्राम देवरिया बुद्ध खाँ थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया साकिनान कोद्दा थाना मुरहु जिला खुंटी (झारखण्ड) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त निकोलस एवं अभियुक्ता जवन्ती उपरोक्त की निशानदेही पर गुड़ लारी का मुर्गी फार्म हाउस ग्राम मंज़रिया जहाँ पर उक्त अभियुक्त कार्य करते थे, वहाँ से घटना में प्रयुक्त चाकू फावड़ा, दो बॉस, रजाई का खोल एवं प्लास्टिक की रस्सी एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल होन्डा ड्रीम UPN52X2422 बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद आलाकत्तल एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

घटना में प्रयुक्त आलाकत्तल बरामदगी का विवरण:-

- 01.एक अदद चाकू
- 02.एक अदद फावड़ा,
- 03.दो अदद बांस,
- 04.एक अदद रजाई का खोल ।
- 05.घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल होन्डा ड्रीम UPN52X2422

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 01.उ0नि0 घनश्याम सिंह थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना,
- 02.उ0नि0 संजीव कुमार राय थाना रामपुर कारखाना,
- 03.कां0 समसुलेन खाँ थाना रामपुर कारखाना,
- 04.कां0 राहुल यादव थाना रामपुर कारखाना
- 05.कां0 चुलबुल कुमार थाना रामपुर कारखाना
- 06.कां0 गोविन्द यादव थाना रामपुर कारखाना
- 07.म0कां0 प्रीति यादव थाना रामपुर कारखाना
- 08.म0कां0 प्रीति पाण्डेय थाना रामपुर कारखाना